न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या—56/2013—14

प्रियंका कुमार बनाम आलोक राय वगैरह

(Under Section 8 of the Bihar Land Mutation Act, 2011)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
19/6/18	**आदेश** यह पुनरीक्षण वाद, दाखिल खारिज अपील वाद सं0 42/2011—12 में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पटना सदर के द्वारा दिनांक 20.07.2013 को पारित आदेश के विरूद्ध लाया गया है। इस वाद में विपक्षी उपस्थित नहीं हुए है। इस न्यायालय में वाद की कार्यवाही आरम्भ होने के पश्चात सुनवाई के लिए निर्धारित अधिकांश तिथियों में आवेदिका उपस्थित नहीं हुए। दिनांक 29.06.2016, 17.01.17, 25.04.17 को आवेदिका के द्वारा हाजरी दी गयी। परन्तु पुकार पर आवेदिका अनुपस्थित पाये गये। स्पष्ट है कि आवेदिका को इस वाद के संचालन में कोई दिलचस्पी नहीं है। आवेदिका के द्वारा आज भी हाजरी दी गयी, परन्तु पुकार पर अनुपस्थित है। आवेदन एवं निम्न न्यायालय के द्वारा पारित आदेश का परिशीलन किया। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पटना सदर के द्वारा समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि दाखिल खारिज वाद सं0 513/02 वर्ष 2010—11 में राजस्व कर्मचारी के द्वारा गलत प्रतिवेदन समर्पित किया गया। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पटना सदर का यह निष्कर्ष भी सही है कि अंचलाधिकारी, पटना सदर के द्वारा बिना सक्षम स्वीकृति प्राप्त किये अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर विवादित भूखण्ड का लगान निर्धारण कर दिया गया। अंचलाधिकारी, पटना सदर का उक्त आदेश रद्द करने योग्य था, जिसे भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पटना सदर के द्वारा रद्द किया गया। आवेदन एवं निम्न न्यायालय के आदेश से यह भी स्पष्ट होता है कि विवादित भूखण्ड को लेकर व्यवहार न्यायालय में स्वत्व वाद सं0 12/2008	

	विचाराधीन है। बिहार राज्य भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 की धारा--6(12) के तहत होल्डिंग या उसके भाग के दाखिल खारिज के वैसे मामलों की स्वीकृति नहीं दी जायेगी, जिनमें होल्डिंग या उसके भाग के संबंध में सक्षम न्यायालय में स्वत्व वाद लम्बित है। उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में मेरा निष्कर्ष है कि दाखिल खारिज अपील वाद सं0 42/2011--12 में दिनांक 20.07.2013 को पारित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। पुनरीक्षण आवेदन अस्वीकृत करने हुए, वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। **लेखापित एवं संशोधित।** (वज़ैन उद्दीन अंसारी) अपर समाहर्त्ता,पटना (वज़ैन उद्दीन अंसारी) अपर समाहर्त्ता,पटना	